

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012020-215073 CG-DL-E-02012020-215073

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] No. 26] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/ PAUSHA 10, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सं. एस-27019/1/1993-सीएल.—भारत के राजप्रत्र, असाधारण दिनांक 20 जनवरी, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी, 2017 के संकल्प सं. एस-27019/1/93-सीएल की निरंतरता में, केन्द्रीय सरकार बाल एवं किशोर श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्यों के रूप में निम्नलिखित को शामिल करती है:

(1) श्रीमती रेखा अरूण वर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा),

सदस्य

(2) सुश्री सरोज पांडे, संसद सदस्य (लोक सभा)

सदस्य

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

6759 GI/2019 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT RESOLUTION

New Delhi, the 31st December, 2019

No. S-27019/1/1993-CL.—In continuation of Resolution No.S-27019/1/93-CL dated 20th January, 2017 of the Government of India in the Ministry of Labour, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 20th January, 2017, the Central Government hereby includes the following as Member in the Central Advisory Board on Child and Adolescent Labour:

1. Smt. Rekha Arun Verma, Member of Parliament (Lok Sabha), Member

2. Ms. Saroj Pandey,

Member of Parliament (Parliament)

Member

Member of Parliament (Rajya Sabha)

This issues with the approval of Competent Authority.

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

संकल्प

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

सं. एस-27019/1/1993-सीएल.—भारत के राजप्रत्र, असाधारण दिनांक 20 जनवरी, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी, 2017 के संकल्प सं. एस-27019/1/93-सीएल की निरंतरता में, केन्द्रीय सरकार बाल एवं किशोर श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्य (श्री यशवंत जैन के स्थान पर) के रूप में निम्नलिखित को शामिल करती है:

सुश्री रोज़ी ताबा, सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दूसरा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

सदस्य

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December, 2019

No. S-27019/1/1993-CL.—In continuation of Resolution No.S-27019/1/93-CL dated 20th January, 2017 of the Government of India in the Ministry of Labour, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 20th January, 2017, the Central Government hereby includes the following as Member (in place of Shri Yashwant Jain) in the Central Advisory Board on Child and Adolescent Labour:

Ms. Rosy Taba, Member, National Commission for Protection of Child Rights, 2nd Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001 Member

This issues with the approval of Competent Authority.

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.